

21/10/20

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। आज समय चला गया। मिसल आइन्दा तारीख 30/12/20 को वास्तु तत्परी/पत्रावली प्रश्न पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अर्थात् पीठमौल अधिकारी के आज उभय पक्षों पर होने के कारण मामले में तारीख तब्दील की जाती है। मुताबिक आगामी सुनना के मिसल दिनांक 13/1/2021 को पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

30/12/20

13/1/21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। आज समय चला गया। मिसल आइन्दा तारीख 29/1/2021 को वास्तु तत्परी/पत्रावली प्रश्न पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

29/1/21

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थ अर्थात् उप०। पत्रावली दिनांक 17.08.2018 को दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात् रेस्पों.सं. 1 से 3 को समन नोटिस जारी किये गये, जो दिनांक 01/11/2019 को अदम तामिल पेश किये गये। उसके पश्चात् लगातार पेशी दिनांक क्रमशः 04.12.19, 10.01.20, 11.03.20, 06.05.20, 19.08.20, 21.10.20, 30.12.20 और 13.01.2021 को न्याया. द्वारा नोटिस तलवाना पेश करने के आदेश देने के बावजूद अपीलार्थ अर्थात् अपीलार्थ न्याया. से नये समन निकालने के आवेदन करने में असफल रहा और न ही नोटिस तलवाना पेश किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थ अर्थात् द्वारा दिनांक 06.05.2020 को न्याया. से उप० होकर अन्तर्गत CPC प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 85 की प्रति प्राप्त की गई, जिसका जवाब आज दिवस तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलार्थ CPC आदेश 09 नियम 05 के तहत अदम पालना में खारिज की जाती है। पत्रावली वास्तु के मिसल शूमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

आदेश 01 नियम 10

